प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–6/1253/2024–6/238/2024 **लखनऊ** **दिनांक–12 अगस्त, 2024**

विषयः–प्रदेश में कार्यरत पंचायती राज विभाग के समस्त कंसल्टिंग इंजीनियर को कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याओं के निराकरण करने के सम्बन्ध मे

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2350/33–3–2021–2257/2021 दिनांक–16.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके बिन्दु संख्या–9 में प्राविधान है कि ग्राम पंचायतों के कार्यों का प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका तैयार करने हेतु, पंचायती राज निदेशालय द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए प्रत्येक जनपद में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट/कन्सलटिंग इंजीनियर नियत फीस के साथ इम्पैनल्ड किया जायेगा, जो पंचायतों के कार्यों का प्राक्कलन तैयार करने व कार्यों के मापन का कार्य करेंगे।

उपरोक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–9 के क्रम में पंचायती राज निदेशालय द्वारा प्रत्येक जनपद हेतु 25–25 रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट/कन्सलटिंग इंजीनियर का इम्पैनलमेन्ट किया गया जिनके द्वारा जनपदों में ग्राम पंचायतों के कार्यों के कार्यों का संपादन किया जा रहा है। अवगत कराना है कि निदेशालय के पत्र संख्या–5/717/2023–5/35/2022 दिनांक 23.05.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा ग्राम पंचायत में कन्सल्टिंग इंजीनियर्स को निर्माण कार्यों के प्राकलन तथा एम0बी0 आदि सम्बन्धित कार्यों का दायित्व दिया गया तथा इन ग्राम पंचायतों में ओ0डी0एफ0 प्लस के साथ–साथ विभाग से सम्बन्धित अन्य कार्यो के प्राक्कलन तथा एम0बी0 आदि कार्य का दायित्व उपलब्ध कराये गये कन्सलटिंग इंजीनियर्स के माध्यम से भी कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

क्षेत्र में आ रही समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में कन्सलटिंग इंजीनियर द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष उपस्थित होकर प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। कन्सलटिंग इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना हैः–

1. पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग/अन्य योजनाओं से कराये जा रहे कार्यों का प्राक्कलन एवं एम0बी0 इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट/कन्सलटिंग इंजीनियर से भी कराया जाये।
2. कन्सलटिंग इंजीनियर द्वारा पी0डब्ल्यू0डी0 की निर्धारित दरों पर निर्माण कार्यो का प्राक्कलन एवं एम0बी0 तैयार किया जाये।
3. निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तर दायित्व ग्राम पंचायत के साथ–साथ सम्बन्धित कन्सलटिंग इंजीनियर/अभियन्ता का भी होगा।
4. ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य के सापेक्ष ई–ग्राम स्वराज वेबसाइट की व्यवस्थानुसार अंतिम 10 प्रतिशत धनराशि के भुगतान से पूर्व इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट/कन्सलटिंग इंजीनियर की निर्धारित फीस का भुगतान किया जायेगा। भुगतान सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी का होगा।
5. कन्सल्टिंग इंजीनियरों के नियत फीस का भुगतान समय से किया जाये। नियत फीस का भुगतान विभागीय पोर्टल https://prdfinance.up.gov.in अपलोड किया जाये।

अतः अनुरोध है कि शासनादेश संख्या–2350/33–3–2021–2257/2021 दिनांक–16.012.2021 के द्वारा निहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही कराते हुये कन्सलटिंग इंजीनियरों से ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तथा एम0बी0 से सम्बन्धित कार्य कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अटल कुमार राय)
निदेशक
पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्या–6/1253/238/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी को पालनार्थ।

(अटल कुमार राय)
निदेशक
पंचायतीराज, उ0प्र0।